

Attachement 2.23

**वन संरक्षण अधिनियम, १९८० का उल्लंघन न होने का
प्रमाण-पत्र**

परियोजना का नाम : कुलिंग दिदिना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ३.९५६ हे० आरक्षित, २.५०३ हे० सिविल, कुल ६.४५९ हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, १९८० का उल्लंघन नहीं हुआ है।

प्रभागीय वनाधिकारी


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थसली (चमोली)


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थसली (चमोली)